(8)05/2017

27/

# (To be published in Delhi Gazette Extra Ordinary Part-IV) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT) 9th LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI

No. F. No.F.7(91)/AD/LB/2017/ 3866 - 3873

Dated: 17/05/2017

#### **ORDER**

On publication of the result of the general election to the Municipal Corporation of Delhi under section 14 of Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (hereinafter referred to as "the Act"), by the State Election Commissioner of the National Capital Territory of Delhi vide Notification No.SEC/LAW/F/4(253)/2017/1634 dated 27.4.17, the Lt.Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to convene the first meeting of the newly constituted North Delhi Municipal Corporation under section 73 of the Act on 18.5.17 at 11.30 a.m. at Dr.S.P.M.Civic Centre, New Delhi. The Municipal Secretary will issue the required notice in this behalf.

The Lt.Governor of National Capital Territory of Delhi under section 77 of the Act is further pleased to nominate Ms.Nisha Mann, Councillor, Ward No.3N to preside over the meeting for the election of the Mayor. She will be administered oath/affirmation as per section 32 of the Act, by Sh.Amit Satija, I.A.S., Deputy Commissioner (North-Revenue). The other Councillors will be administered oath/affirmation by the Presiding Officer.

The newly constituted Corporation will proceed to elect the Mayor, as required by section 35 of the Act. The Mayor so elected will then assume the chair and proceed to conduct the election of the Deputy Mayor and six members of the Standing Committee as required under section 35(1) and 45(1)(i) of the Act respectively.

By Order and in the Name of Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(A. ANBARASU) Secretary(UD) & Director (Local Bodies)

Dated: 17/05/2017

No. F. No.F.7(91)/AD/LB/2017/ 3866 - 387-3

- 1. Shri P K Gupta I.A.S, Commissioner, North Delhi Municipal Corporation, Dr. S.P.M. Civic Centre, Minto Road, New Delhi 100002 with four spare copies, with the request to forward a copy each to Ms.Nisha Mann, Councillor, Ward No.3N, , and Municipal Secretary for information necessary action.
- 2. Sh.Amit Satija, I.A.S., Dy.Commissioner (North-Revenue), D.C. Office, 5-Sham Nath Marg, Delhi

3. Secretary to Lt.Governor, Raj Niwas, Delhi

- 4. Principal Secretary to Chief Minister, Government of NCT of Delhi
- 5. Secretary to the Minister (Urban Development), Government of NCT of Delhi
- 6. OSD to the Chief Secretary, Delhi
- 7. Dy.Secretary (Admn.), U.D.Deptt.
- 8. Programmer, U.D.Deptt.for uploading on website

(A. ANBARASU) Secretary(UD) & Director (Local Bodies)

### (दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग—चार में प्रकाशनार्थ) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (शहरी विकास विभाग) नौंवा तल, सी—विंग, दिल्ली सचिवालय, आई०पी०इस्टेट, नई दिल्ली।

सं0फा0 / 7 / 91 / एडीएलबी / 2017 / 3866-3873

दिनांक:17-5-2017

#### आदेश

दिनांक 27.04.2017 की अधिसूचना संख्या संग्राणा07/91/एडीएलबी/2017/3866—3873 द्वारा रा0रा0 क्षेत्र दिल्ली के निर्वाचन राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा दिल्ली नगर निगम अधिनियम ,1957(इसके पश्चात जिसे अधिनियम कहा गया है)की धारा 14 के अधीन दिल्ली नगर निगम के आम चुनावों के परिणामों के प्रकाशित कर देने पर रा0रा0 क्षेत्र के उपराज्यपाल अधिनियम की धारा 73 के अन्तर्गत नवगठित उत्तरी दिल्ली नगर निगम की प्रथम बैठक 18.05.2017 को प्रातः 11.30 बजे डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सैंटर, नई दिल्ली पर आयोजित करते हैं। निगम सचिव इस आशय की अपेक्षित सूचना जारी करेंगें।

रा०रा० क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल अधिनियम की धारा 77 के अधीन महापौर के चुनाव के लिए सुश्री निशा मान , निगम पार्षद , वार्ड सं० 03—एन को पीठासीन अधिकारी मनोनीत करते हैं। सुश्री निशा मान को श्री अमित सतीजा, आई०ए०एस०, उपायुक्त (उत्तर—राजस्व) द्वारा धारा 32 के अनुसार शपथ दिलाई जाएगी। अन्य पार्षदों को पीठासीन अधिकारी द्वारा शपथ दिलाई जाएगी।

नवगढित निगम, अधिनियम की धारा 35 में यथापेक्षित महापौर के चुनाव की प्रक्रिया पूरी करेंगें। निर्वाचित महापौर अध्यक्ष का आसन ग्रहण करेंगें और अधिनियम की धारा 35(1)तथा 45(1)(आई) में यथा अपेक्षित उप महापौर तथा स्थायी समिति के छहः सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी करेंगें।

राष्ट्रीय राजघानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

D. 31-4/4

(ए.अनबरासु)

सचिव (श0 वि0) / निदेशक स्थानीय निकाय

## सं0फा0 7/91/एडीएलबी/2017/ 3866-3873

दिनांक:17-5-2017

- 1. श्री पी०के०गुप्ता,आई०ए०एस०, आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सैंटर, मिंटो रोड़, नई दिल्ली—110002 चार अतिरिक्त प्रतियों सिहत, सुश्री निशा मान, निगम पार्षद, वार्ड सं० 3एन तथा निगम सिचव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही अग्रेषित करने के अनुरोध के साथ।
- 2. श्री अमित सतीजा, आई.ए.एस., उपायुक्त (उत्तरी–राजस्व), उपायुक्त कार्यालय, 5— शामनाथ मार्ग, नई दिल्ली।
- 3. उपराज्यपाल के सचिव, राजनिवास, दिल्ली।
- 4. मुख्यमंत्री के प्रधानसचिव, रा० रा० क्षेत्र दिल्ली।
- 5. मंत्री (शहरी विकास) के सचिव, रा० रा० क्षेत्र दिल्ली
- 6. मुख्य सचिव, दिल्ली के विशेष अधिकारी।
- 7. उप सचिव (प्रशासन) शहरी विकास विभाग
- 8. प्रोग्रामर (शहरी विकास विभाग) को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

V. 26-499

(ए.अनबरासु)

सचिव (श0 वि0) / निदेशक स्थानीय निकाय